आपात काल

→ जर्मनी (वायमर)

→ भाग-18 - 352-360

- ✓ राष्ट्रीय आपात काल
  अनु- 352
- ✓ संवैधानिक तंत्र की विफलता
  या
  राष्ट्रपति शासन
  अनु- 356
- ✓ वित्तिय आपात काल
  अनु- 360

Note:- घोषणा → राष्ट्रपति द्वारा
→ समाधान - मंत्रिमण्डल
→ अनुमोदन - संसद

वापस लेना → राष्ट्रपति → स्वविवेक.

अनु-352 – राष्ट्रीय आपात काल

→ मंत्रिमण्डल

↳ यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाय कि देश में, युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है या संभावना है तो सम्पूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा कर सकेगा।

सहमति

(1 माह

अनुमोदन – घोषणा के पश्चात दोनो सदनों से 30 दिन के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक।

(2/3 सं० प्रा)

अवधी ÷ 6 - 6 माह से अनिश्चित काल तक ·
↳ Min. Max

↳ प्रत्येक 1 वर्ष से अधिक वृद्धि संसद से अनुमोदन आवश्यक।

प्रभाव ÷ ① रा० आ० का० की घोषणा होते ही, अनु० 19 तत्काल प्रभाव से निलम्बित – अनु- 358·

② अन्य मूल अधिकार पर राष्ट्रपति विधि बनाकर निलम्बित (↳ Suspend·) कर सकेगा – अनु- 359·

अपवाद ÷ 44वा· C·A·A· 1978 के द्वारा अनु· 20 और 21 किसी भी दशा मे निलम्बित नही होगा।

↳ राज्य सूची के विषय पर विधि संघ बना सकेगा :- अनु-250

↳ लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में प्रत्येक वृद्धि पर 1 साल की वृद्धि

राष्ट्रीय आपात काल अब तक 3 बार घोषित हुआ।

			PM	राष्ट्रपति
I	1962 - 1968	चीन युद्ध →	नेहरू	राधाकृष्णन
II	1971	पाक युद्ध →	इन्दिरा	V.V. गिरी
III	1975 — 1977	देश में अशान्ति →	इन्दिरा	फखरुद्दीन अली अहमद

44वां C.A.A. 1978 के द्वारा देश में अशान्ति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया।

अनु-356

संवैधानिक तन्त्र की विफलता
राष्ट्रपति शासन

→ यदि राष्ट्रपति को स्वयं से या राज्यपाल के माध्यम से यह समाधान हो जाय कि राज्य मे संवैधानिक तन्त्र विफल हो गया है, वहां की शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप कार्य नही कर रहा है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम उस राज्य की शासन व्यवस्था अपने हाथ मे ले लेंगे।

सहमति

अनुमोदन :- घोषणा के पश्चात दोनो सदनों से 60 दिन या 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन लिया जाएगा।

1/2+1

→ नवनिर्वाचित लोकसभा से 30 दिन के भीतर अनुमोदन।

अवधी :- 6-6 माह से अधिकतम - 3 वर्ष तक

अपवाद :- पंजाब राज्य मे अधि०-5 वर्ष तक

* किसी राज्य मे राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना हो तो निम्न दो शर्तो मे से एक शर्त का होना अनिवार्य।

(1) उस राज्य मे निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने से मना कर दें।

(2) भारत या उसके किसी क्षेत्र मे राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा हो।

प्रभाव :- ① - विधान सभा निलंबित
② मंत्रि परिषद भंग हो जायेगा।
③ राज्य का बजट का संसद मे प्रस्तुत होगा।
④ शासन व्यवस्था राष्ट्रपति अपने हाथ राज्यपाल के माध्यम से रखेगा।

Note :- ① राष्ट्रपति शासन की न्यायिक जाँच राष्ट्रपति कर सकेगा।
② - अनु- 365 के तहत यदि राज्य मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को लागू नही करे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकेगा।

↳ सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन - UP और मणीपुर मे - 10 बार

प्रथम बार राष्ट्रपती शासन - पंजाब राज्य मे लगा - 1951

सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा - पंजाब

बिहार मे प्रथम बार राष्ट्रपति शासन - 1968 में

बिहार अंतिम बार — 1995 मे

कितनी बार — 8 बार

अनु-360 वित्तिय आपात काल

↳ यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाय की सम्पूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र मे वित्तिय संकट उत्पन्न होने वाला है तो सम्पूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र मे वित्तिय आपात काल की घोषणा कर सकेगा।

अनुमोदन → राष्ट्रपतिशासन की तरह ·

अवधी → 6-6 माह से अनिश्चित काल तक ·

प्रभाव :- ① विधान सभा द्वारा पारित धन विधेयक पर संसद का नियन्त्रण होगा।

② CJI सहित संघ व राज्य सरकार के अधिन कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन भत्ते मे कटौती।

Note :- अब तक अनु 360 का प्रयोग नही किया गया है।

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING